



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10]

नई दिल्ली, मई 18—मई 24, 2014, शनिवार/वैशाख 28—ज्येष्ठ 3, 1936

No. 10]

NEW DELHI, MAY 18—MAY 24, 2014, SATURDAY/VAISAKHA 28—JYAISTHA 3, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 मई, 2014

का.नि.आ. 38.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेना (उच्च श्रेणी लिपिक और निम्न श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना (उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग') भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सेना (उच्च श्रेणी लिपिक और निम्न श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012 की सारणी में, स्तंभ 7 के अधीन, अवर श्रेणी लिपिक पद के लिए प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण

(ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति या कंप्यूटर पर हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन की औसत पर 10500/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)।”

[फा.सं. 15203/9/एम पी-4(सिव.)(ए)/आर आर /52/डी (नि.)/2014]

दलपत सिंह, अवर सचिव

टिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 23, तारीख 11 अप्रैल, 2012 द्वारा प्राकशित किए गए।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 5th May, 2014

S.R.O. 38.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Army Group 'C' (Upper Division Clerks and Lower Division Clerks) Recruitment Rules, 2012, namely:—

1. **Short title and commencement .**—(1) These rules may be called the Army Group 'C' (Upper Division Clerks and Lower Division Clerks) Recruitment (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Army Group 'C' (Upper Division Clerks and Lower Division Clerks) Recruitment Rules, 2012, against post of Lower Division Clerk, for the entries under Column 7, the following entries shall be substituted, namely:-

"(i) 12th class pass from a recognized Board or University.

(ii) Typing speed of 35 words per minute in English on computer or a typing speed of 30 words per minute in Hindi on computer (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500/9000 key depressions per hour on an average of 5 key depressions for each word)."

[F. No. 15203/9/MP-4(Civ) (a)/RR/52/D (Appts)2014]

DALPAT SINGH, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide notification number S.R.O. 23 dated the 11th April, 2012.